भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2134

उत्तर देने की तारीख 4 जुलाई, 2019

13 आषाढ़, 1941 (शक)

इनडोर स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण

2134. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

श्री बालाशोवरी वल्लभानेनीः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, कृष्णा-गोदावरी जिलों में इनडोर स्टेडियम का निर्माण करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त स्पोर्टस स्टेडियमों के निर्माण के लिए निर्धारित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपत्तनम में स्टेडिया कांप्लेक्स में लगभग 8 करोड़ रु. की लागत से बहु-उद्देशीय इनडोर हॉल का निर्माण कराने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश के विद्याधरपुरम, विजयवाड़ा जिला कृष्णा में एक बहु-उद्देशीय इंडोर हॉल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पूर्ववर्ती शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2016 को 6 करोड रुपए की संस्वीकृत धनराशि के साथ आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण को संस्वीकृत किया गया और पहली किस्त के रूप में 1.20 करोड़ रु. जारी किए गए। इस परियोजना को निरस्त कर दिया गया था और दिनांक 19 जून 2019 के पत्र द्वारा आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण को सूचित कर दिया गया था क्योंकि 3 वर्ष की अवधि के बाद भी परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई थी और अनुदानग्राही ने सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किया ।

(ग) और (घ): आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्टेडिया कॉम्प्लेक्स, मछलीपत्तनम में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बहुउद्देशीय इंडोर हॉल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 27 सितंबर 2017 के संस्वीकृति पत्र द्वारा आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण को

अनुमोदित किया गया। तथापि, पिछले वर्षों के दौरान जारी अनुदान के संबंध में आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण के पास उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) बकाया होने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी । दिनांक 22 मार्च 2018 के पत्र द्वारा अनुमोदन को निरस्त कर दिया गया क्योंकि आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक भी बकाया यूसी का निपटान करने में विफल रहा।

*****